संख्या-35/2025/I/1069560/2025/001-71-4099-1266-2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-27.08.2025

विषयः- उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई मॉग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2025-26/17, दिनांक-17.04.2025, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र दिनांक-11.11.2024 एवं आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक-13.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2179/71-2-2013-सा-29/2012 दिनांक 20.06.2013 द्वारा निजी निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ देते हुए दिव्य ज्योति इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद के शमन मानचित्र के संबंध में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विकास शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क के रूप में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा दी गयी छूट की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई मॉग के माध्यम से लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-94-उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन योजना के तहत मानक मद-42-अन्य व्यय मद में धनराशि रू0 22,91,69,000/ (बाइस करोड इक्यानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र) प्राविधानित की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई मॉग के माध्यम से लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-94-उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना हेतु मानक मद-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 22,91,69,000/ (बाइस करोड इक्यानबे लाख उनहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष दिव्य ज्योति इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद के शमन मानचित्र के संबंध में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विकास शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क के रूप में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा दी गयी छूट की प्रतिपूर्ति करते हुए एकमुश्त धनराशि रू0 22,91,68,768/- (बाइस करोड इक्यानबे लाख अडसठ हजार सात सौ अडसठ मात्र) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवयकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,91,68,768 (रुपये बाईस करोड़ इक्यानबे लाख अड़सठ हजार सात सौ अड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050394 उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को उनके पत्र दिनांक-11.11.2024 के संदर्भ में।
2. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-13.11.2025 के संदर्भ में।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
7. प्रबंधक, दिव्य ज्योति इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद।
8. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।